राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव
(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 24	12.03.2024	06.12.2024

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री थावर जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

—— वादी

बनाम

1. आजाद कौर पत्नी रामसिंह
2. प्रतापसिंह पुत्र श्री थावर
3. राजेन्द्र पुत्र श्री थावर
4. रामकुवार पुत्र श्री थावर
5. संजय पुत्र श्री रामसिंह
6. सुमन पुत्री रामसिंह
7. सुरेखा पुत्री रामसिंह
8. सीमा उर्फ मीना पुत्री रामसिंह
9. हरिश कुमार पुत्र श्री थावर
10. अजय कुमार पुत्र श्री जुगेन्द्रसिंह
11. अशोक कुमार पुत्र श्री उदमीराम
12. कमलेश पत्नी जुगेन्द्रसिंह
13. जीतराम पुत्र श्री प्रभाती
14. धर्मवीर पुत्र श्री प्रभाती
15. मनजीतसिंह पुत्र निहालसिंह
16. मलखमसिंह पुत्र श्री उदमीराम
17. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री निहालसिंह
18. कमलेश पत्नी राजेन्द्रसिंह
19. बबली पत्नी राकेश
20. तनिष पुत्र राकेश नाबालिंग जर्ये सरप्रस्त माता बबली पत्नी राकेश

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

21. किर्तिका पुत्री राकेश नाबालिंग जर्ये सरप्रस्त माता बबली पत्नी राकेश
22. राजवीरसिंह पुत्र श्री उदमीराम
23. राजेश पुत्र श्री प्रभाती
24. विजय कुमार पुत्र श्री जुगेन्द्रसिंह
25. सुरेशचन्द पुत्र श्री उदमीराम
26. हिम्मतसिंह पुत्र श्री निहालसिंह जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।
27. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।
28. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
29. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एस बी आई बैंक शाखा शाहजंहापुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड
31. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।
32. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा बम्य हु० ई० दवामी अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित – श्री भूपेश चौधरी वकील वादी
श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय वकीलप्रतिवादी

// निर्णय //

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णायादेश पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – आराजी ख० नं० हाल 1232/0.01 हैव0, 1233/0.15 हैक्0, 1234/0.01 हैक्0, 1235/0.08 हैक्0, 1241/0.10 हैक्0, 1248/0.11 हैक्0, 1266/0.10 हैक्0, 1321/0.08 हैक्0, 1323/0.18 हैक्0, 1324/0.10 हैक्0, 137/0.53 हैक्0, 139/0. 10 हैक्0, 1485/0.01 हैक्0, 1486/0.60 हैक्0, 1712/0.11

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हैक0, 1890/0.52 हैक0, 234/0.03 हैक0, 238/0.01 हैक0, 239/0.06 हैक0, 272/0.96 हैक0, 278/0.53 हैक0, 299/0.13 हैक0, 277/0.01 हैक०, कुल किता 23 कुल रकबा 4. 52 हैक0, का 1/6 भाग व ख० नं० 1972/0.04 हैक०, का 1/6 भाग व ख० नं० 1803/0.44 हैक०, का 1/24 भाग वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद है। उक्त आराजी का मिन वादी व प्रतिवादीगण ने अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है जिसमें मिन वादी आराजी ख० नं० 1803 के 1/4 भाग 0.11 हैक0, 1321 के सम्पूर्ण भाग 0.08 हैक0, 1323 के सम्पूर्ण भाग 0.18 हैक0, 137 का 53/6 भाग 0.06 हैक0, 139 के सम्पूर्ण भाग 0.10 हैक0, 1486 के 1/6 भाग 0.10 हैक0, 238 के सम्पूर्ण भाग 0.01 हैक0, 239 के सम्पूर्ण भाग 0. 06 हैक0, 272 का 1/12 भाग 0.08 हैक०, कुल 0.78 हैक, आराजी हिस्से आयी हुयी है जिस पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा शेष आराजी प्रतिवादीगण के हिस्से आयी हुयी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ल0 27 की सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा राजस्व रिकोर्ड में सामलात में खातेदारी दर्ज है लगान वगैरा सामलात में जमा करा रहे है। मिन वादी व प्रतिवादीगण का बडा परिवार हो गया है जिससे सामलात में काश्त करना सम्भव नहीं है। मिन वादी गरीब आदमी है तथा प्रतिवादी सं० 1 ल0 26 आये दिन मिन वादी के सामलाती हिस्से पर काश्त करने में बाधा पहुंचाते है इसलिये सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। मिन वादी दिनांक 05/02/2024 को अपने हिस्से पर काश्त कार्य कर रहा था तो प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 26 एकराय मशविरा करके आये और मिन वादी को बेदखल करने की कोशीश की और कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की बस यही तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा तकासमा पेश करना लाजिम आया है। उक्त आराजीयात का सहखातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदमीराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान को वाद में पक्षकार बनाया गया है। डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी। (अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 1232/0. 01 हैक0, 1233/0.15 हैक0, 1234/0.01 हैक0, 1235/0.08 हैव0, 1241/0.10 हैक0, 1248/0.11 हैक0, 1266/0.10 हैक०, 1321/0.08 हैक0, 1323/0.18 हैक0, 1324/0.10 हैक0, 137/0.53 हैक0, 139/0.10 हैक0, 1485/0. 01 हैक0, 1486/0.60 हैक0, 1712/0.11 हैक0, 1890/0.52 हैव0, 234/0.03 है०, 238/0.01 हैक0, 239/0.06 हैक0, 272/0.96 हैक0, 278/0.53 हैक0, 299/0.13 हैक0, 277/0.01 हैक0, कुल किता 23 कुल रकबा 4.52 हैक0, का 1/6 भाग व ख० नं० 1972/0.04 हैक0, का 1/6 भाग व ख० नं० 1803/0.44 हैव0, का 1/24 भाग वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित आराजी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर मिन वादी बहामी बंटवारे के अनुसार आराजी ख० नं0 1803 के 1/4 भाग 0. 11 हैक0, 1321 के सम्पूर्ण भाग 0.08 हैक0, 1323 के सम्पूर्ण भाग 0.18 हैक0, 137 का 53/6 भाग 0.06 हैक0, 139 के सम्पूर्ण भाग 0.10 हैक0, 1486 के 1/6 भाग 0.10 हैक0, 238 के सम्पूर्ण भाग 0.01 हैक0, 239 के सम्पूर्ण भाग 0.06 हैक0, 272 का 1/12 भाग 0. 08 हैक0, कुल 0.78 हैक0, आराजी हिस्से आयी हुयी है का मौका कब्जे के अनुसार बाद कुरेजात के तकासमा किया जाकर बंटवारे की फाईनल डिक्री जारी की जावे। तथा मिन वादी का अलग से खाता कायम किया जावे। आदेश दिये जावे हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 व 9 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि वादी का वाद काबिले खारिज है खारिज किया जावे। अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। । जो पत्रावली पर शामिल है। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी किता 4 पेश की।

हमने वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला उपस्थित नही आये। वकील वादी ने वाद तकासमा का होने के कारण सहमति से प्रारम्भिक निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वाद वादी को उभय पक्षकारान की सहमति से प्रारम्भिक निर्णित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन मे सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074, नकल नक्शा ट्रेश आदि पेश किये है

प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डावर को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ते) संबधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06. 11.2004 को दुष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाये। उक्त आराजी बाबत मंगाये जाने कुर्रेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी उक्त प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उपभयपक्षकरान को सुना गया प्रकरण मे प्रतिवादीगण बाद इत्तला उपस्थित नही आये कुर्रेजात रिर्पोट हेतु पक्षकार ने सहमति प्रदान की थी। अतः वाद वादी डिक्री किया जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 प्रदर्श – ए निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

– आदेश –

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 30. 09.2024 प्रदर्श – ए निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। प्रदर्श – ए के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 06.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

—: पर्चा डिकी : —

अतः वाद वादी इस प्रकार डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 प्रदर्श — ए निर्णय एवं पर्चा डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (कैम्पः—तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श – ए के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है

आज दिनांक 06.12.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(मनीष कुमार यादव)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

06/12/2024 पत्रावली पेश हुई।
वकील उभयपक्षगण उपस्थित हैं।
वाद वादी उभयपक्षकारान की
सहमति से कैमरान रिपोर्ट
के आधार पर डिक्री किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल मिसल।

... के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु भी सहमत हैं।

B Rupesh
(एडवोकेट)

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)